



चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का संस्थान कोटा रोड, बन्दाला, सांगानेर, जयपुर-302033, राजस्थान,
दूरभाष: 0141-2795104, वेबसाइट: www.ccsniam.gov.in)

रुचि अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTEREST)

सी.सी.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (CCSNIAM) पात्र एजेंसियों से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम तथा उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रुचि अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करता है। इच्छुक एजेंसियाँ EOI दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.ccsniam.gov.in से डाउनलोड कर सकती हैं। EOI जमा करने की अंतिम तिथि 27.01.2026 शाम 5 बजे तक है। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट www.ccsniam.gov.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक

CCSNIAM INVITES EXPRESSIN OF INTEREST (EOI)

FOR

EMPANELMENT WITH CCSNIAM

For

Entrepreneurship Awareness Programs, Advanced Management Development Programme, Advanced Management Development Programme



Date of Issue of EOI: 21.01.2026
Last date for Submission of EOI: 27.01.2026 (05.30 PM)

CH. CHARAN SINGH NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING (CCSNIAM)
KOTA ROAD, BAMBALA, PRATAP NAGAR, JAIPUR-302033 (RAJASTHAN)

Website: www.ccsniam.gov.in

1. DISCLAIMER

- a) The information contained in this EOI document or subsequently provided to intending applicant(s) whether verbally or in documentary form by or on behalf of CCS NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING (CCSNIAM) or any of its employees or officers (referred to as “CCSNIAM Representative”) is provided on the terms and conditions set out in this EOI document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.
- b) No part of this EOI and no part of any subsequent correspondence by CCSNIAM, or CCSNIAM Representatives shall be taken neither as providing legal, financial, or other advice nor as establishing a contract or contractual obligations. Contractual obligations would arise only if and when definitive agreements have been approved and executed by the appropriate parties having the authority to enter into and approve such agreements.
- c) Neither CCSNIAM nor CCSNIAM representatives make any claim or give any assurance as to the accuracy or completeness of the information provided in this EOI document. Interested applicant(s) is/are advised to carry out their own investigations and analysis or any information contained or referred to herein or made available at any stage in the EOI process in relation to the supply. Applicants have to undertake their own studies and provide their EOIs.
- d) This EOI document is provided for information purposes only and upon the express understanding that such parties will use it only for the purpose set forth above. It does not purport to be all-inclusive or contain all the information about the supply in relation to which it is being issued.
- e) The information and statements made in this EOI document have been made in good faith. Interested applicants should rely on their own judgments in participating in this EOI process. Any liability is accordingly expressly disclaimed even if any loss or damage is caused by any act or omission on part of the aforesaid, whether negligent or otherwise.
- f) The EOI document has not been filed, or approved in any jurisdiction. Recipients of this document should inform themselves and observe any applicable legal requirements. CCSNIAM makes no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the EOI Document.
- g) CCSNIAM reserves the right to reject all or any of the EOIs submitted in response to this EOI invitation at any stage without assigning any reasons whatsoever.
- h) CCSNIAM reserves the right to modify, suspend, change, or supplement this EOI at any stage. Any change to this EOI documents shall be uploaded on CCSNIAM website www.ccsniam.gov.in
- i) Mere submission of an EOI does not ensure selection of the applicants as successful applicants.

2. CONTEXT

2.1 INTRODUCTION:

- a) Ch. Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (CCSNIAM) is a premier National level Institute set up by the Government of India in August, 1988 to offer specialized training, research, education and consultancy in the field of Agricultural Marketing.
- b) CCSNIAM is playing a vital role in expediting the reform process and availability of quality managers through its mandate.
- c) CCSNIAM is engaged in organizing training programs in the field of agricultural marketing and allied areas for senior and middle level officers from various line departments of State Governments, Cooperatives, Marketing Boards and Agribusiness Entrepreneurs.
- d) The institute is also playing an active role in orienting agricultural extension personnel and farmers towards agricultural techniques and marketing.
- e) In tune with its mandate, the Institute has organized a number of training programs on functional areas of agricultural marketing. The focus areas of the Institute are emerging issues in agricultural marketing which is addressed through training, research, consultancy, policy advise, and education

2.2 OBJECTIVES:

The main objectives of the EOI are as given below

- a) To impart capacity building training to the Farmers, Rural Youth, Entrepreneur on various marketing techniques and latest trends.
- b) To expose the Farmers, Rural Youth, Entrepreneur to the field visits to acquire skills practically.
- c) To enhance the Income of the Farmers Rural Youth, Entrepreneur through providing them specialized training.

3. OVERVIEW

- a) The Eligible Agencies will be selected as empaneled agency for Entrepreneurship Awareness Programs Management Development Programme, Advanced Management Development Programme for a period of 3 months i.e., upto 31st March 2026 with CCSNIAM as Implementing Agencies (IA) for implementing Capacity Building Training to Farmers and Youth.
- b) The organizations / agencies fulfilling eligibility criteria will be selected by CCSNIAM as per expertise of the Eligible Agency in respective domain of Capacity building training to Entrepreneurship Awareness Programs - Management Development Programme, Advanced Management Development Programme. CCS NIAM will provide ranking based on scores obtained in the evaluation criteria, as A, B and C three category.
- c) The organization for selection will be consider on the basis of prior experience only through the Work Orders from Govt. Organizations in India.

- d) Interested and eligible Applicants under this EOI, need to submit copy of each required documents before the last date & time given in this EOI documents along with fees.
- e) After scrutiny of EOI, CCSNIAM shall finalize the eligible organization as per CCSNIAM procedure and will inform them.
- f) CCSNIAM reserves the right to accept or reject any or all EOI without assigning any reason thereof. The issue of this EOI document does not in any way commit or otherwise obliges CCSNIAM to proceed with all or any part of EOI process.
- g) Successful organization will also need to sign a separate Agreement with CCSNIAM within 5 (five) working days of selection.
- h) The Selection of the Implementing Agencies do not in any way commit or otherwise obliges CCSNIAM to provide Work Order.

4. SCOPE OF WORK

- a) The selected Implementing Agency (IA) will have to work with CCS NIAM to undertake Entrepreneurship Awareness Programs Management Development Programme, Advanced Management Development Programme for a period of 3 months i.e., Upto 31st March 2026.
- b) The IA will have to provide Entrepreneurship Awareness Programs, Management Development Programme, Advanced Management Development Programme to the beneficiaries by arranging required infrastructure; amenities and good ambience in the Training location as assigned by the CCSNIAM to the selected IAs.
- c) The selected IAs will have to execute the Projects by following the instructions of the CCSNIAM scrupulously as per the Work Order guidelines.

5. ELIGIBILITY & EVALUATION CRITERIA

5.1 Minimum Eligibility Criteria:

- a) The organization should be a NGO /Society/Trust registered under relevant Act of GoI with minimum 3 years of work experience.
- b) The organization should have valid PAN, 80 G & 12 A, registered on NGO Darpan.
- c) This EOI is limited to single entity, the bidders must be registered under the same name and submit only one EOI document, no consortium is allowed under this EOI.
- d) Annual Audited balance sheets for the last three years shall be enclosed as supporting document.
- e) The organization should have sufficient training experience of imparting training as per the Work Orders of Government of India or any Govt. organizations.
- f) Organization should not have been debarred / blacklisted by any Govt. Department/ PSU/ Cooperative Society for corrupt and fraudulent practices and shall have to submit a declaration to this effect.

TERMS & CONDITIONS

6. General Terms:

- a) Selected Implementing Agency (IA) shall agree to work in any geography area allotted by CCSNIAM.
- b) The IA will partner with CCSNIAM and upkeep the name of CCSNIAM during the project implementation.
- c) If CCSNIAM has provided required infrastructure and manpower for project implementation the IA will reimburse the costs to CCSNIAM from project budget.
- d) The Training will be under CCSNIAM brand and specified design/colour scheme provided by CCSNIAM should be used. No other name or alternation of any forms shall be allowed to be displayed at the project location.
- e) The IA will ensure proper working and compliances of the training are taken care of as per government regulations as well as CCSNIAM guidelines.
- f) The IA will submit all the necessary records of project milestones related to the project implementation to CCSNIAM on regular basis and as and when demanded by CCSNIAM.
- g) The IA will ensure proper transparency with CCSNIAM at all levels.
- h) CCSNIAM may appoint its representatives, time to time, to inspect and check the relevant records of the project being implemented by the IA for CCSNIAM.

7. Amendment of EOI Document:

- a) At any time prior to the last date for submission of EOI, CCSNIAM, may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective applicant, modify this EOI document by an amendment.
- b) Organizations are advised to keep viewing the CCSNIAM website for any corrigendum/ change.
- c) In order to provide prospective organizations reasonable time to take the amendment into account and submit the EOI. CCSNIAM may, at its discretion, extend the last date for the receipt of EOI and/or make other changes in the requirements set out in this EOI document.

8. Period of Validity of the EOI:

- a) The offer under this EOI shall be valid upto 31st March 2026 from the date of submission of EOI application.

- b) In exceptional circumstances, CCSNIAM may request the consent of the selected implementing agency for an extension to the period of EOI validity. The request and the response thereto shall be made in writing.

9. Procedure for Submission of the EOI:

- a) The complete application along with documents in respect of this EOI shall be submitted to CCSNIAM through speed post and by hand to its office Jaipur before the stipulated date and time.
- b) Intending organization shall submit Expression of Interest documents in original downloaded form, duly signed and stamped at each page as token of acceptance of all terms and conditions.
- c) The organization should quote their rate in annexure – II.

10. Queries on the EOI Document:

All prospective applicants may get clarification on their queries before 25 Jan 2026 from the Director General, CCSNIAM, Jaipur, Rajasthan through Email: admn@ccsniam.ac.in

11. Opening and Evaluation of the EOI:

- a) EOI applications (complete in all respect) received by stipulated time will be opened and scrutinized by duly constituted committee of CCSNIAM. The committee will examine the documents provided vis-a-viz requirements of CCSNIAM as per terms & conditions given in this document. CCSNIAM reserves its right to accept or reject any or all the applications without specifying any reason and/or ask for any additional and/or missing documents from the interested companies/parties.
- b) During the evaluation, CCSNIAM at its discretion may call upon the Applicant to give clarifications if required by the Evaluation Committee. The Applicants will also require to give presentations to the Committee and to respond to any question from CCSNIAM. The place for presentation shall be conveyed to the organization at an appropriate date. Failure on part of Applicant to arrange the presentation and for clarification for the queries on the date & place fixed shall result in the rejection of EOI application.
- c) CCSNIAM may consider waiving off any minor infirmity or non-conformity or irregularity in a EOI which doesn't constitute a material deviation, provided such waiver doesn't prejudice or affect the relative ranking of any organization.

12. Interpretation of the clauses in the EOI Document

In case of any ambiguity/ dispute in the interpretation of any of the clauses in this EOI Document, CCSNIAM's interpretation of the clauses shall be final and binding on all Applicants.

13. LIST OF DOCUMENTS FOR SUBMISSION OF THE EOI

Following documents have to be submitted along-with EOI:

- i. Self-attested & stamped copy of valid Registration Certificate of the NGO/Company/ LLP/Trust/Society/Pvt. Ltd.

- ii. Application Fees DD of Rs 5000/- in favour of Director General, CCS NIAM payable at Jaipur.
- iii. Self-attested & stamped copy of PAN, 80G, 12 A, NGO Darpan ID of the Applicant Agency.
- iv. Self-attested copies of the Balance Sheet and Annual Accounts for the last three years.
- v. Copy of past experience, sanction order, work order, MoU, etc. by the government organization.
- vi. Complete EOI document stamped and signed by authorized signatory of the NGO/Company/ LLP/Trust/Society/Pvt. Ltd. etc.
- vii. Application form duly filled, stamped and signed by authorized signatory of the NGO/Company/ LLP/Trust/Society/Pvt. Ltd. etc as per format “Annexure-I” of this EOI documents.
- viii. Self-Declaration on letter head of the Applicant Agency that it has not been blacklisted by any State/Central Govt. body/ Public Sector Undertaking at any point of time in India.
- ix. Bank account details of the Applicant Agency (copy of cancelled cheque / passbook).
- x. Annexure-I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV duly filled in, signed and stamped.

14. General Conditions:

- a) Violation in any terms & conditions of this Agreement is not allowed.
- b) At any stage of the process, if it is found that Applicant(s) has given incorrect and misleading certificate/information/document(s), CCS NIAM shall be free to take suitable action including cancellation of EOI, forfeiture of security / EOI security amount etc.
- c) The current EOI shall be independent of any previous ongoing/completed contract that may have been entered into between CCSNIAM and the Applicant(s).
- d) CCS NIAM reserves the rights to call for any additional information/documents from Applicant(s) and same shall be submitted by the Applicant(s) to CCSNIAM within given time period.
- e) CCS NIAM reserves the right to cancel this EOI in totality without assigning any reason.
- f) CCS NIAM reserves the right to increase or decrease the quantity of this EOI without assigning any reason.
- g) This EOI shall be governed and construed in accordance with the Indian Laws.

Annexure I
Application Letter (on letter head of the Applicant Agency)

To
The Director General,
CSS CCSNIAM
Kota Road, Bambala
Pratap Nagar
Jaipur - 302033
Rajasthan.

Dear Sir/Madam,

We are submitting requisite document duly sealed and signed in response to CSNIAM EOI dated for organizing Entrepreneurship Awareness Programs, Management Development Programme, Advanced Management Development Programme.

You are requested to kindly consider the proposal and award the programme.

Yours Faithfully,

Authorized Signatory Name :
Designation :
Name of Organization :
Mobile Number :
Email ID :
Date :

Annexure -II

Detail of programmes to be conducted and competitive rate invited from eligible organization

Programme Name	Area	Unit	Cost per unit
Entrepreneurship Awareness Programs	Tribal area (Banswara -5, Dungarpur -5, Pratapgarh -5, Udaipur -5, Salumber-5 and Sirohi -5)	30	
	Potential District (Jaisalmer -5, Hanumangarh -5, Ganganagar -5, Bharatpur -5, Jhunjhunu -5, Tonk -5	30	
	Punjab	20	
	Haryana	20	
Management Development Programme	Rajasthan – 8, Punjab – 1, Haryana - 1	10	
Advanced Management Development Programme	Rajasthan – 2	2	

Authorized Signatory Name : _____

Designation : _____

Name of Organization : _____

Mobile Number : _____

Email ID : _____

Date : _____

Annexure -III
Application Form

Name and full address of the NGO / Society/Trust/ registered under relevant Act of GoI	
Email Id and contact No. of organization	
Registration No.	
PAN No.	
80 G and 12 A registration No.	
NGO Darpan ID	
Certification, if any	
Name of Authorized signatory along with designation	
Bank Account Number	
Branch and address of Bank	
Bank IFSC Code	

Financials (Rs. In Lakhs)

Particulars	FY-2022-23	FY 2023-24	FY-2024-25
Total Turnover			

Annexure -IV
Undertaking from Applicant (to be submitted on the letter head)

Date: -

To
The Director General
CSS CCSNIAM
Kota Road, Bambala
Pratap Nagar
Jaipur - 302033
Rajasthan

Dear Madam,

This has reference to the EOI reference no. ____ dated _____ published in the website of CCSNIAM. In response to the said EOI, I/ we have submitted our EOI at your office. In connection with the above EOIs, I / we hereby declare and undertake as under: -

That we are neither related to any member(s) of your Board of Directors, Members, Officers and other employees nor do we have any financial, commercial or other interests with any of the above persons in any capacity whatsoever.

That we have read this EOI documents completely and all terms & conditions given in this EOI documents are acceptable to me/us.

That we have not been blacklisted by any State/Central Govt. body/ Public Sector Undertaking at any point of time in India.

That we have not been involved in any major litigation that may have an impact of affecting or compromising participation in this EOI.

That we do not have any pending cases in any court or agency in India.

That in case of any violations to the above declarations at any stage of the EOI, CCSNIAM reserves the sole right to cancel the candidature under this EOI.

For and on behalf of

(Authorized Signatory with seal/Stamp)

1. अस्वीकरण (DISCLAIMER)

a) इस EOI दस्तावेज़ में निहित जानकारी अथवा तत्पश्चात् इच्छुक आवेदक/आवेदकों को मौखिक या लिखित रूप में CCS राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (CCSNIAM) या उसके किसी कर्मचारी या अधिकारी (जिसे आगे "CCSNIAM प्रतिनिधि" कहा गया है) द्वारा प्रदान की गई जानकारी, इस EOI दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम एवं शर्तों तथा अन्य सभी नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

b) इस EOI का कोई भी भाग या CCSNIAM अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा की गई किसी भी बाद की पत्राचार का कोई भी भाग न तो कानूनी, वित्तीय या अन्य सलाह मानी जाएगी, और न ही किसी अनुबंध या संविदात्मक दायित्व की स्थापना करेगा। संविदात्मक दायित्व तभी उत्पन्न होंगे जब सक्षम प्राधिकरण वाले पक्षों द्वारा अंतिम समझौते अनुमोदित एवं निष्पादित किए जाएँगे।

c) न CCSNIAM और न ही उसके प्रतिनिधि इस EOI दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता या पूर्णता के संबंध में कोई दावा या आश्वासन देते हैं। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस दस्तावेज़ में निहित अथवा संदर्भित या EOI प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपलब्ध कराई गई जानकारी के संबंध में अपना स्वतंत्र सर्वेक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण स्वयं करें। आवेदकों को अपने अध्ययन करके ही अपनी EOI प्रस्तुत करनी होगी।

d) यह EOI दस्तावेज़ केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान किया गया है, इस स्पष्ट समझ के साथ कि संबंधित पक्ष इसका उपयोग केवल उपर्युक्त उद्देश्य के लिए करेंगे। यह दस्तावेज़ न तो संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का दावा करता है और न ही आपूर्ति से संबंधित सभी तथ्यों को सम्मिलित करता है, जिसके संदर्भ में इसे जारी किया गया है।

e) इस EOI दस्तावेज़ में दी गई जानकारी और कथन सद्भावना के साथ किए गए हैं। इच्छुक आवेदकों को EOI प्रक्रिया में भाग लेते समय अपने विवेक एवं निर्णय पर निर्भर रहना चाहिए। तदनुसार, किसी भी हानि या क्षति की कोई ज़िम्मेदारी स्पष्ट रूप से अस्वीकार की जाती है, चाहे वह किसी कार्य या चूक के कारण हुई हो — लापरवाही सहित परंतु उससे सीमित नहीं।

f) यह EOI दस्तावेज़ किसी भी न्यायिक क्षेत्राधिकार में न तो दायर किया गया है और न ही अनुमोदित। इस दस्तावेज़ के प्राप्तकर्ताओं को स्वयं लागू कानूनी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं उनका पालन करना चाहिए। CCSNIAM किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमन के अंतर्गत इस दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण या वारंटी नहीं देता और किसी प्रकार की देयता स्वीकार नहीं करेगा।

g) CCSNIAM बिना किसी कारण बताए, किसी भी चरण में, इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी या किसी भी EOI को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

h) CCSNIAM किसी भी चरण में इस EOI को संशोधित, निलंबित, परिवर्तित या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। EOI दस्तावेज़ में किसी भी परिवर्तन को CCSNIAM की वेबसाइट www.ccsniam.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

i) EOI का मात्र प्रस्तुतिकरण आवेदकों के चयन की गारंटी नहीं देता।

2. संदर्भ (CONTEXT)

2.1 परिचय (INTRODUCTION):

- a) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (CCSNIAM) भारत सरकार द्वारा 1988 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख संस्थान है, जिसका उद्देश्य कृषि विपणन के क्षेत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करना है।
- b) CCSNIAM अपने अधिदेश के अंतर्गत कृषि विपणन सुधार प्रक्रिया को गति देने और योग्य प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- c) CCSNIAM कृषि विपणन एवं संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों के लाइन विभागों, सहकारी संस्थाओं, विपणन बोर्डों तथा एग्रोबिजनेस उद्यमियों के वरिष्ठ एवं मध्य-स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
- d) संस्थान कृषि विस्तार कार्मिकों एवं किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों एवं विपणन की दिशा में उन्मुख करने की सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है।
- e) अपने अधिदेश के अनुरूप, संस्थान ने कृषि विपणन के कार्यात्मक क्षेत्रों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान का फोकस कृषि विपणन के उभरते मुद्दों पर है, जिन्हें प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, नीतिगत सलाह एवं शिक्षा के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

2.2 उद्देश्य (OBJECTIVES):

इस EOI के मुख्य उद्देश्यों का विवरण निम्नानुसार है—

- a) किसानों को विभिन्न विपणन तकनीकों एवं नवीनतम रुझानों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना।
- b) किसानों को क्षेत्र भ्रमण (Field Visits) के माध्यम से व्यावहारिक कौशल उपलब्ध कराना।
- c) किसानों को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कृषि आय में वृद्धि सुनिश्चित करना।

3. अवलोकन (OVERVIEW)

- a) पात्र एजेंसियों का चयन उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, तथा उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम हेतु एम्पैनल्ड एजेंसी के रूप में किया जाएगा। यह चयन 3 माह (अर्थात् 31 मार्च तक) की अवधि के लिए होगा।
- b) पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाली संस्थाओं/एजेंसियों का चयन CCSNIAM द्वारा उनके विशेषज्ञता क्षेत्र (Domain Expertise) के आधार पर किया जाएगा।

CCSNIAM मूल्यांकन मानदंड के आधार पर एजेंसियों को A, B और C श्रेणियों में रैंक प्रदान करेगा।

c) चयन हेतु संगठन/एजेंसियों पर विचार केवल भारत में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त कार्य आदेशों (Work Orders) के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

d) इस EOI के अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एवं निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

e) EOI की जांच-पड़ताल के पश्चात CCSNIAM अपनी प्रक्रिया के अनुसार पात्र संगठनों का चयन अंतिम रूप देगा और उन्हें सूचित करेगा।

f) CCSNIAM किसी भी कारण बताए बिना, किसी भी या सभी EOI को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस EOI का जारी किया जाना किसी भी प्रकार से CCSNIAM को EOI प्रक्रिया के सम्पूर्ण या किसी भाग को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता।

g) सफल संगठन को चयन के 5 (पाँच) कार्य दिवसों के भीतर CCSNIAM के साथ अलग से एक समझौते (Agreement) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

h) कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन किसी भी प्रकार से CCSNIAM को कार्य आदेश प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करता।

4. कार्य का दायरा (SCOPE OF WORK)

a) चयनित कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency – IA) को CCSNIAM के साथ मिलकर उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, एवं उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम तीन माह की अवधि अर्थात 31 मार्च 2026 तक संचालित करने होंगे।

b) IA को लाभार्थियों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, तथा उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करना होगा, जिसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण स्थल पर उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना होगा, जैसा CCSNIAM द्वारा चयनित IAs को सौंपा जाएगा।

c) चयनित IAs को वर्क ऑर्डर दिशानिर्देशों के अनुसार CCSNIAM के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा।

5. पात्रता एवं मूल्यांकन मानदंड (ELIGIBILITY & EVALUATION CRITERIA)

5.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड (Minimum Eligibility Criteria):

a) संगठन NGO / सोसायटी / ट्रस्ट होना चाहिए जो भारत सरकार के प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो।

b) संगठन के पास मान्य PAN, 80G एवं 12A प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा NGO Darpan पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

c) यह EOI केवल एकल संस्था हेतु सीमित है। बोलीदाता उसी नाम से पंजीकृत हो तथा केवल एक EOI दस्तावेज प्रस्तुत करे। इस EOI के अंतर्गत कंसोर्टियम अनुमत नहीं है।

d) पिछले तीन वर्षों के वार्षिक ऑडिटेड बैलेंस शीट्स सहयोगी दस्तावेज के रूप में संलग्न करनी होंगी।

e) संगठन के पास भारत सरकार या किसी सरकारी संगठन द्वारा जारी वर्क ऑर्डर के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

f) संगठन किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था द्वारा दूषित या धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं के कारण डिबार / ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए और इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नियम एवं शर्तें (TERMS & CONDITIONS)

6. सामान्य शर्तें (General Terms):

a) चयनित IA को CCSNIAM द्वारा आवंटित किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमत होना होगा।

b) IA, CCSNIAM के साथ भागीदारी में कार्य करेगा और परियोजना क्रियान्वयन के दौरान CCSNIAM के नाम एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा।

c) यदि CCSNIAM ने परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जनशक्ति उपलब्ध कराई है, तो IA को परियोजना बजट से इसकी लागत CCSNIAM को प्रतिपूर्ति (Reimburse) करनी होगी।

d) प्रशिक्षण CCSNIAM ब्रांड के अंतर्गत होगा तथा CCSNIAM द्वारा निर्दिष्ट डिज़ाइन/रंग योजना का पालन करना होगा। प्रशिक्षण स्थल पर किसी अन्य नाम या स्वरूप में बदलाव / प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

e) IA सुनिश्चित करेगा कि सरकारी नियमों एवं CCSNIAM दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण की सभी अनुपालना एवं प्रक्रियाएँ उचित रूप से लागू हों।

f) IA परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख एवं माइलस्टोन नियमित रूप से तथा CCSNIAM द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

g) IA प्रत्येक स्तर पर CCSNIAM के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

h) CCSNIAM समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकता है, जो IA द्वारा संचालित परियोजना के संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण एवं सत्यापन करेंगे।

7. EOI दस्तावेज़ में संशोधन (Amendment of EOI Document):

a) EOI प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, CCSNIAM अपने स्तर से अथवा किसी इच्छुक आवेदक द्वारा मांगी गई स्पष्टता के उत्तर में, किसी भी कारण से इस EOI दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है।

b) संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे CCSNIAM वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/परिवर्तन संबंधी सूचना को देखते रहें।

c) संभावित संगठनों को संशोधन को ध्यान में रखते हुए EOI प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु, CCSNIAM अपने विवेकानुसार EOI प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है तथा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन भी कर सकता है।

8. EOI की वैधता अवधि (Period of Validity of the EOI):

a) इस EOI के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव EOI आवेदन जमा करने की तिथि से 31 मार्च 2026 तक वैध रहेगा।

b) विशेष परिस्थितियों में, CCSNIAM चयनित कार्यान्वयन एजेंसी की सहमति लेकर EOI वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध एवं उत्तर लिखित रूप में होगा।

9. EOI प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Procedure for Submission of the EOI):

- a) इस EOI से संबंधित संपूर्ण आवेदन एवं सभी आवश्यक दस्तावेज स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व CCSNIAM, जयपुर कार्यालय में जमा किए जाएँ।
- b) इच्छुक संगठन EOI दस्तावेज़ के मूल डाउनलोडेड स्वरूप को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ, सभी नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत करेंगे।
- c) संगठन को अपनी दरें Annexure-II में उद्धृत (quote) करनी होंगी।

10. EOI दस्तावेज़ पर पूछताछ (Queries on the EOI Document):

सभी संभावित आवेदक अपनी शंकाओं का समाधान 25.01.2026 तक निम्न माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं

महानिदेशक, CCSNIAM, जयपुर (राजस्थान), ईमेल: admn@ccsniam.ac.in

11. EOI का खोलना एवं मूल्यांकन (Opening and Evaluation of the EOI):

- a) निर्धारित समय तक प्राप्त संपूर्ण EOI आवेदन को CCSNIAM की विधिवत गठित समिति द्वारा खोला एवं जाँचा जाएगा। समिति दस्तावेजों की जाँच CCSNIAM की आवश्यकताओं एवं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप करेगी। CCSNIAM किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखता है तथा इच्छुक कंपनियों/संस्थाओं से अतिरिक्त या कमी वाले दस्तावेजों की माँग भी कर सकता है।
- b) मूल्यांकन के दौरान, CCSNIAM आवेदक से स्पष्टीकरण माँग सकता है। आवेदक को समिति के समक्ष प्रस्तुति (Presentation) देनी होगी तथा CCSNIAM द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रस्तुति स्थल की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर प्रस्तुति देने या स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में विफल रहने पर EOI अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- c) CCSNIAM किसी भी क्षुद्र त्रुटि, असंगति या अनियमितता को माफ कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी छूट से किसी संस्था की आपेक्षिक रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. EOI की धाराओं की व्याख्या (Interpretation of the clauses):

यदि इस EOI दस्तावेज़ की किसी धारा की व्याख्या में कोई अस्पष्टता या विवाद होता है, तो CCSNIAM की व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

13. EOI के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ (List of Documents for Submission of the EOI):

EOI के साथ निम्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है—

- i. संगठन के वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (NGO/Company/LLP/Trust/Society/Pvt. Ltd.) की स्वयं-सत्यापित एवं मोहरयुक्त प्रति।
- ii. आवेदन शुल्क DD (₹ 5000/-), पक्ष — Director General, CCS NIAM, देय — जयपुर।
- iii. संगठन के PAN, 80G, 12A, NGO Darpan ID की स्वयं-सत्यापित एवं मोहरयुक्त प्रतियाँ।

- iv. पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट व वार्षिक खाते (स्वयं-सत्यापित प्रतियाँ)।
- v. पूर्व अनुभव, स्वीकृति आदेश, वर्क ऑर्डर, MoU इत्यादि की प्रतियाँ (सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी)।
- vi. संपूर्ण EOI दस्तावेज अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद।
- vii. Annexure-I के प्रारूपानुसार पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र—हस्ताक्षरित एवं मोहरयुक्त।
- viii. संगठन के लेटरहेड पर स्व-घोषणा पत्र कि संस्था किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/PSU द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं की गई है।
- ix. संगठन के बैंक खाते का विवरण (रद्द चेक/पासबुक की प्रति)।
- x. Annexure-I, Annexure-II, Annexure-III एवं Annexure-IV पूर्ण रूप से भरे हुए, हस्ताक्षरित एवं मोहरयुक्त।

14. सामान्य शर्तें (General Conditions):

- a) इस समझौते की किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
- b) यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत या भासक प्रमाणपत्र/सूचना/दस्तावेज दिए हैं, तो CCSNIAM EOI रद्द करने, सुरक्षा/EOI राशि जब्त करने जैसे उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- c) यह EOI, CCSNIAM और आवेदक के बीच किसी पिछले अनुबंध (चल रहे या पूर्ण हो चुके) से स्वतंत्र है।
- d) CCSNIAM आवेदक से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज माँगने का अधिकार रखता है, जिसे आवेदक द्वारा निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत करना होगा।
- e) CCSNIAM इस EOI को किसी भी कारण के बिना, पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार रखता है।
- f) CCSNIAM इस EOI की मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- g) यह EOI भारतीय कानूनों के अनुसार शासित एवं व्याख्यायित होगा।

अनुलग्नक-I

आवेदन पत्र (आवेदक संस्था के लेटरहेड पर)

प्रति,
महानिदेशक, CCS NIAM
कोटा रोड, बंबाला प्रताप नगर
जयपुर – 302033, राजस्थान

महोदय/महोदया,

हम, CSNIAM के EOI दिनांक के संदर्भ में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम तथा उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज विधिवत सील एवं हस्ताक्षरित रूप में संलग्न कर प्रस्तुत कर रहे हैं।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार कर उक्त कार्यक्रम प्रदान करने की कृपा करें।
भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

दिनांक :

अनुलग्नक-II

आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण एवं पात्र संगठनों से आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक दरें

कार्यक्रम का नाम	क्षेत्र	इकाई	प्रति इकाई लागत
उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम	जनजातीय क्षेत्र (बांसवाड़ा-5, डूंगरपुर-5, प्रतापगढ़-5, उदयपुर-5, सलूंबर-5 एवं सिरोही-5)	30	
	संभावित जिलों में (जैसलमेर-5, हनुमानगढ़-5, गंगानगर-5, भरतपुर-5, झुंझुनूं-5, टोंक-5)	30	
	पंजाब	20	
	हरियाणा	20	
प्रबंधन विकास कार्यक्रम	राजस्थान-8, पंजाब-1, हरियाणा-1	10	
उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम	राजस्थान-2	2	

अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

दिनांक :

अनुलग्नक – III

आवेदन प्रपत्र

आवेदक संस्था का विवरण	
एनजीओ / सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पूरा पता (भारत सरकार के प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत)	
संस्था का ईमेल आईडी एवं संपर्क नंबर	
पंजीकरण संख्या	
पैन नंबर (PAN)	
80G एवं 12A पंजीकरण संख्या	
एनजीओ दर्शन आईडी (NGO Darpan ID)	
प्रमाणन / सर्टिफिकेशन (यदि कोई हो – ISO / CSR-1 / अन्य)	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम	
बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम, शाखा एवं पता	
बैंक IFSC कोड	

वित्तीय विवरण (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25
कुल वार्षिक टर्नओवर			

अनुलग्नक – IV
आवेदक द्वारा घोषणा-पत्र (लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक: _____

प्रेषित:

महानिदेशक, CSS CCSNIAM
कोटा रोड, बंबाला प्रताप नगर
जयपुर – 302033, राजस्थान

महोदया,

विषय संबंधी EOI संदर्भ सं. _____ दिनांक _____, जो CCSNIAM की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी, के संदर्भ में प्रेषित है। उक्त EOI के प्रत्युत्तर में, मैंने/हमने अपना EOI आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया है। उक्त संदर्भ में, मैं/हम निम्नलिखित घोषणा एवं प्रतिज्ञा करते हैं:

1. कि हम आपके निदेशक मंडल, सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों में से किसी भी व्यक्ति से न तो संबंध रखते हैं और न ही किसी प्रकार का वित्तीय, व्यावसायिक अथवा अन्य स्वार्थ/हित रखते हैं।
2. कि हमने EOI दस्तावेज को पूर्णतः पढ़ लिया है तथा उसमें वर्णित सभी नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।
3. कि हमें भारत में किसी भी राज्य/केंद्र सरकार निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा किसी भी समय ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. कि हम किसी भी ऐसी प्रमुख कानूनी वाद-विवाद / मुकदमेबाजी में संलिप्त नहीं रहे हैं, जिससे हमारे इस EOI में भाग लेने पर प्रभाव पड़ता हो अथवा समझौता होता हो।
5. कि हमारे विरुद्ध भारत में किसी भी न्यायालय या एजेंसी के समक्ष कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
6. कि उपरोक्त घोषणाओं में किसी भी प्रकार का उल्लंघन EOI प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में पाया जाता है, तो CCSNIAM इस EOI के अंतर्गत मेरी/हमारी उम्मीदवारी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

सप्रेम,
संस्था की ओर से

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मुहर/स्टाम्प सहित)